न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या : - 269/2009 मुल रेवेन्यू

श्री शंकर पिता प्यारा मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी रामाखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी

-- वादी

बनाम

1. श्री नाथू पिता कालू मीणा आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी रामाखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी
2. श्री नारायण पिता कालू मीणा आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी रामाखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी

-- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188-183-209 रा.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 23/11/17

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मोजा उण्डावेला प0ह0 जलोदा जागीर तह0 छोटीसादड़ी में वादी खातेदारी की आराजी नं. 594 रकबा 0-43 हे0, आराजी नं. 595 रकबा 0-05 हे0, आराजी नं. 59 रकबा 0-22 हे0, आराजी नं. 599 रकबा 0-08 हे0, आराजी नं. 600 रकबा 0-07 हे0 कुल किता 5 कु रकबा 0-85 हे0 कृषि भूमि वादी के खातेदारी में अंकित होकर उक्त आराजियात् पर वादी खातेद काश्तकार की तरह काबिज होकर काश्त करता है। मौके पर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 सीमा संबंधी विव करते है और वादी की खातेदारी की उक्त आराजियात् को कुछ भाग पर जबरन अतिक्रमण कब्जा कर रहे जिससे वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 188-183-209 रा.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजियात् पर वादी के कब्जे का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न न करें, करावें। अवैद्य कब्जा अतिक्रमण नही करें त प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त आराजियात् के कुछ अंश पर प्रतिवादीगण ने जो अवैद्य कब्जा अतिक्रमण लिया है, उसे हटाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04/06/2009 को अपना प्रतिवाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत वादग्रस्त आराजियात् पर वादी की खातेदारी होना स्वीकार किया है। मगर कुछ भू-भाग पर प्रतिवादीगण कब्जा होना अंकित करते हुऐ एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भू-भाग प्रतिवादीगण के खातेदारी अंकित करने की प्रार्थना की। वादी द्वारा दिनांक 01/06/2010 को काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कि गया तथा दिनांक 06/07/2010 को निम्न तनकियात् कायम की गई :-

1. क्या वादी प्रतिवादीगण से मोजा उण्डावेला की आराजी नं. 594-595-596-599-600 के किसी भू-भाग पर काबिज होने की स्थिति में कब्जा पुनः प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात मदाखलत मजाहमत न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी

बजिम्मे वादी

3. क्या प्रतिवादी मोजा उण्डावेला की आराजी नं. 595-596 पर स्वयं के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत न करने, न कराने हेतु वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

बजिम्मे प्रतिवादी

4. सहायता

इस प्रकरण में तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ने उक्त तनकी के समर्थन पी.डब्ल्यू.-1 स्वयं वादी शंकर तथा पी.डब्ल्यू.-2 गमेरा के बयान कराये तथा साक्ष्य में प्रदर्श-1 जमाबन प्रदर्शित करवाई। स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र के पेरा नं. 1 में वादग्रस्त आराजियात् वादी खातेदारी की होना स्वीकार किया है। वादी पी.डब्ल्यू.-1 शंकर एवं पी.डब्ल्यू.-2 गमेरा ने यह तनकी बखू साबित की है। वादग्रस्त आराजियात् वादी के खातेदारी की है। प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार भी कोई अधिकार उत्पन्न नही होते जिससे वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने अधिकारी है।

तनकी नं. 2 एवं तनकी नं. 3 साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। मगर प्रतिवादीगण साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित ही नही हुऐ। प्रतिवादीगण की ओर से कई मौके दिये जाने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तु नही की गई। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा भी दिनांक 09/07/2015 को पैरवी हिदायत होने से इनक किया। इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से तनकी नं. 2 एवं 3 प्रतिवादीगण विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी शंकर पिता प्यारा मीणा निवासी रामाखेड़ा का यह वाद विरु प्रतिवादी क्रमांक 1 नाथू पिता कालू मीणा निवासी रामाखेड़ा प्रतिवादी नं. 2 नारायण पिता कालू मीणा निवा रामाखेड़ा डिक्री किया जाता है। मोजा उण्डावेला प0ह0 जलोदा जागीर तह0 छोटीसादड़ी में स्थित वादी खातेदारी के आराजी नं. 594-595-596-599-600 कुल किता 5 कुल रकबा 0-85 हे0 कृषि भूमि के कि भी अंश पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाये जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगणों स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी की उपरोक्त आराजियात् में वादी उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, करावें अनाधिकृत कब्जा न करें, करावें। उपरोक्त आशय कि व के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित की जाती है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें। डि पर्चा मुर्त्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 23/11/17..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी , छोटीसादडी